भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-426
बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

लॉकडाउन के कारण नौकरी समाप्त होना

426. श्री पि. भट्टाचार्यः
श्री विजय पाल सिंह तोमरः
लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी.वत्स (सेवानिवृत्त)
डा. अमी याज्ञिकः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पूर्ण लॉकडाउन के कारण विगत छह माहों में कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं;
(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) देश में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, उन्हें नौकरियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, भारत सरकार ने 20 लाख करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है आत्मनिर्भर भारत जो अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं युवाओं हेतु रोजगार सृजित मांग पर आधारित है उसे भी आरंभ किया जा चुका है।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) प्रारंभ की है। उपायों का उद्देश्य निर्धन से निर्धनतम तक व्यक्तियों के हाथों में भोजन एवं धन को रखना है ताकि उन्हें आवश्यक आपूर्ति के क्रय तथा मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

पीएमजीकेवाई के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान तीन माह के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

कोविड-19 तथा इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन के कारण श्रम बाजार में चुनौतियों को कम करने के लिए, रोजगार चाहने वालों तथा नियोक्ताओं के मध्य अंतराल को पाटने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल, श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से ऑन-लाइन रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं जहां रोजगार प्रविष्टियों से लेकर अभ्यर्थी के चयन तक का पूर्ण चक्र पोर्टल पर ही पूर्ण किया जा सकता है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार ने एमजीएनआरईजीएस के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रु. उद्दिष्ट किए हैं। यह मानसून के मौसम में लौट रहे प्रवासी कामगारों सहित और अधिक कार्य के लिए कुल समाधानकारी आवश्यकता में लगभग 300 करोड़ व्यक्ति मानवदिवस सृजित करने में मदद करेगा।

व्यापार को राहत देने के लिए, 29 फरवरी, 2020 को बकाया ऋण की 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, वित्त ब्याज की रियायती दर पर सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जा रही है। इकाइयों को स्वयं की कोई गारंटी या जमानत प्रदान नहीं करनी होगी।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से उनका व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

*****